महिला आरोग्य समिति

महिला आरोग्य समिति के गठन का उद्देश्य :–

महिला आरोग्य समिति के गठन का उद्देश्य मितानिनों के सहयोग से स्वास्थ्य गतिविधियों के क्षेत्र में सामुदायिक सहभागिता को बढ़ावा देना है। महिला आरोग्य समिति स्वास्थ्य के सभी पहलूओं पर चर्चा करने के लिए मंच का कार्य करेगी। इस दिशा में समिति की निम्नलिखित गतिविधियाँ हैं :–

- स्वास्थ्य सेवाओं की प्रदायगी हेतु स्थानीय स्तर पर कार्ययोजना बनाना।
- शासन की योजनाओं के अंतर्गत दी जाने वाली स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी जन सामान्य को उपलब्ध कराना एवं उन्हें स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान किए जाने हेतु आवश्यक सहयोग करना।
- समुदाय के सबसे गरीब एवं पिछड़े वर्ग के लोगों को सहायता उपलब्ध कराना।

महिला आरोग्य समिति के गठन की इकाई :–

1. प्रत्येक मितानिन के क्षेत्र में अर्थात प्रत्येक मलिन बस्ती में महिला आरोग्य समिति का गठन किया जाएगा।
2. महिला आरोग्य समिति की सदस्य स्वप्रेरित (समय देने के लिए तैयार) महिलाएँ होगी, जो अपने मोहल्ले के परिवारों को स्वास्थ्य संबंधी पहलू पर जागरूक करेंगी तथा मिलजुल कर स्वास्थ्य संबंधी समस्या को सुलझाने का प्रयास करेगी।

महिला आरोग्य समिति की गठन प्रक्रिया :–

1. मितानिन प्रेरक द्वारा प्रत्येक मितानिन के क्षेत्र में समिति का गठन किया जाएगा।
2. समिति के गठन की प्रक्रिया चार चरणों में निष्पादित की जाएगी।
   - प्रथम चरण :–

     सर्वप्रथम मितानिन प्रेरक द्वारा क्षेत्र की समस्त मितानिनों की संकुल बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें महिला आरोग्य समिति के गठन की प्रकिया के विषय में चर्चा की जाएगी।
   - द्वितीय चरण :–

     द्वितीय चरण में प्रत्येक मितानिन द्वारा उनके क्षेत्र में मितानिन प्रेरक की उपस्थिति में पारा बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें महिला आरोग्य समिति के गठन एवं उसके सदस्यों के चयन के विषय में जानकारी दी जाएगी।

- तृतीय चरण :–

  मितानिन के कार्यक्षेत्र को 10 भागों में विभाजित किया जाएगा। मितानिन द्वारा प्रत्येक भाग में बैठक आयोजित कर सर्व–सम्मति से एक महिला का चयन किया जाएगा। इस प्रकार प्रत्येक मितानिन के क्षेत्र में 10 महिलाओं का चयन कर महिला आरोग्य समिति का गठन किया जाएगा।

  उदाहरण : यदि एक मितानिन 150 घरों को देखती है, तो इन्हें 10 भागों में विभाजित किया जाएगा एवं प्रत्येक भाग में लगभग 15 घर होंगे। इन 15 घरों में से एक महिला का चयन किया जाएगा। इस प्रकार 10 भागों में से 10 महिला सदस्यों का चयन किया जाएगा।

  उदाहरण : यदि एक मितानिन 50 घरों को देखती है, तो इन्हें 10 भागों में विभाजित किया जाएगा एवं प्रत्येक भाग में 5–5 घर होंगे। इन 5 घरों में से एक महिला का चयन किया जाएगा। इस प्रकार 10 भागों में से 10 महिला सदस्यों का चयन किया जाएगा।

- चतुर्थ चरण :–

  चतुर्थ चरण में समिति की प्रथम बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें मितानिन प्रेरक, मितानिन, समिति के चयनित सदस्य एवं पारे के अन्य निवासी उपस्थित होंगे।

3. समिति की बैठक में निम्नलिखित गतिविधियाँ की जाएगी :–

   ➢ प्रथम बैठक :

   i. इस बैठक में समिति के सदस्यों को समिति के उद्देश्यों, कार्यों एवं दस्त (डॉयरिया) की रोकथाम के बारे में जानकारी दी जाएगी।

   ii. महिला आरोग्य समिति के गठन प्रपत्र में चयनित सदस्यों के नाम व हस्ताक्षर दर्ज किए जाएंगे। इस बैठक में उपस्थित पारे के अन्य निवासियों के भी हस्ताक्षर लिए जाएंगे।

   iii. इस बैठक में समिति अपनी कार्यक्षेत्र की मितानिन के चयन का अनुमोदन प्रस्ताव भी पास करेगी।

   नोट :– प्रत्येक वार्ड में कम से कम एक महिला आरोग्य समिति की बैठक में पार्षद को आमंत्रित करने का प्रयास किया जाना चाहिए।

   ➢ द्वितीय बैठक :

   i. मितानिन एवं मितानिन प्रेरक (उपलब्धता के अनुसार) की उपस्थिति में समिति की दूसरी बैठक का आयोजन किया जाएगा। इस बैठक में समिति के सदस्यों को मलेरिया की रोकथाम के लिए प्रेरित किया जाएगा। साथ ही पिछली बैठक के बाद दस्त की रोकथाम के लिए किए गए प्रयासों की समीक्षा की जावेगी।

➢ तृतीय बैठक :

i. तृतीय बैठक में समिति के सदस्यों द्वारा अध्यक्ष एवं कोषाध्यक्ष का सर्व–सम्मति से चयन किया जाएगा। अध्यक्ष एवं कोषाध्यक्ष का चयन करते समय कम–से–कम दो तिहाई सदस्यों की उपस्थिती अनिवार्य होगी।

ii. इस बैठक में महिला आरोग्य समिति के बैंक एकाउन्ट खोले जाने के संबंध में जानकारी दी जाएगी।

➢ चतुर्थ बैठक :

i. इस बैठक में महिला आरोग्य समिति द्वारा निगरानी कैसे की जाएगी, इस विषय में चर्चा की जाएगी एवं इससे संबंधित आवश्यक प्रपत्र उपलब्ध कराए जाएँगे।

महिला आरोग्य समिति के कार्य :–

महिला आरोग्य समिति स्वास्थ्य के सभी पहलुओं (स्वास्थ्य के निर्धारक तत्व–प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष या दोनों) चर्चा करने के लिए मंच का कार्य करेगी। इसके मुख्य कार्य निम्न प्रकार से हो सकते हैं :–

➢ स्थानीय स्तर पर परिवारों के स्वास्थ्य की स्थिति का विश्लेषण करना एवं स्वास्थ्य सेवाओं की प्राप्ति के लिए कार्ययोजना बनाना, उदाहरणार्थ : गर्भवती महिलाओं का चिन्हांकन कर उन्हें मिलने वाली सेवाएँ जैसे–आंगनवाड़ी केन्द्र से पूरक पोषण आहार, प्रसव पूर्व जाँच, आयरन–फोलिक, टेटनस का टीका आदि।

➢ शासन के विभिन्न विभागों के कार्यक्रम अंतर्गत प्राप्त होने वाली सेवाओं के संबंध में समिति में चर्चा एवं हितग्राहियों के हितों की रक्षा के लिए योजना बनाना, उदाहरणार्थ–महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित विभिन्न कार्यक्रम जैसे–अनाथ, तिरस्कृत, निराश्रित, मानसिक रूप से विक्षिप्त, परित्यकता महिलाओं के लिए नारी निकेतन में सामाजिक व शैक्षणिक संरक्षण की व्यवस्था, महिला एवं बच्चों के विकास हेतु स्वैच्छिक संगठनों का समुदाय की भागीदारी के साथ सहयोग करना आदि; नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा संचालित प्रमुख राज्य प्रवर्तित योजनाएँ जैसे–बाबा गुरू घासीदास गंदी बस्ती उत्थान योजना, मिनीमाता शहरी निर्धन बीमा योजना, महिला समृद्धि बाजार योजना, भागीरथी नल–जल योजना आदि के संबंध में चर्चा, जागरूकता एवं सेवाओं के प्रसार हेतु योजनाएँ बनाना आदि।

➢ समुदाय स्तर पर मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना/राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत पंजीयन एवं उपलब्ध सेवाओं की जानकारी, बी.पी.एल. कार्डधारी/राशन कार्ड धारियों को लोक वितरण प्रणाली (PDS) अंतर्गत उचित मूल्य दुकानों के द्वारा राशन वितरण संबंधी मुद्दे।

अन्य कार्य जैसे – कुपोषित के लिए रेफरल, असहाय अथवा साधनहीन परिवार के लिए पोषण सहायता, नशीली दवाओं का दुरूपयोग रोकना, घरेलू हिंसा रोकना आदि सम्मिलित होंगे। बीमारियों की रोकथाम के लिए ऋतुओं (मौसम) के अनुसार स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करना, जैसे : मानसून के पूर्व लोगों को वेक्टर जनित रोगों जैसे मलेरिया, डेंगू एवं उल्टी–दस्त आदि रोगों के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराना एवं उनके रोकथाम के उपाय बताना। समुदाय को अच्छे स्वास्थ्य के लिए व्यावहारिक परिवर्तन लाने के लिए प्रेरित करना, उदाहरण : खाना खाने के पहले हाथ धोना, सोते समय मच्छरदानियों का प्रयोग करना।

ऐसे विषय अथवा वार्ड स्तरीय समस्याएँ, जिनके बारे में महिला आरोग्य समिति अपनी अबंधित राशि के उपयोग द्वारा समस्या का निराकरण नहीं कर सकती अथवा जहाँ पर वार्ड अथवा उच्चतर स्तर पर निर्णय लिए जाने की आवश्यकता हो, समिति अपनी बैठक में प्रस्ताव पास कर शहरी स्वास्थ्य, सफाई एवं पोषण समिति (UHSNC) को प्रेषित करेगी।

महिला आरोग्य समिति की कार्यप्रणाली :–

1. महिला आरोग्य समिति की कार्य बैठकों के माध्यम से किए जाएँगे।
2. समिति के बैठक में सभी सदस्य भाग लेंगे समिति के सदस्यों के अलावा संबंधित पारे की गर्भवती, शिशुवती, ऊपरी आहार वाले बच्चों की माताएँ एवं पारे के अन्य क्रियाशील लोग जिनकी सामाजिक कार्यों में रूचि हो, वे भाग ले सकते हैं।
3. महिला आरोग्य समिति की प्रत्येक माह में निश्चित तिथि पर बैठक प्रस्तावित होनी चाहिए।

प्रपत्र – 1 : महिला आरोग्य समिति गठन

बस्ती का नाम : .....

वार्ड का नाम : ..... वार्ड क्रमाँक : .....

क्रमाँक	बैठक दिनाँक	चयनित सदस्य का नाम	पिता/पति का नाम	हस्ताक्षर
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

संयोजक मितानिन का नाम : ..... मितानिन प्रशिक्षक का नाम : .....

संयोजक मितानिन का हस्ताक्षर : ..... मितानिन प्रशिक्षक का हस्ताक्षर : .....

प्रपत्र–2 महिला आरोग्य समिति पदाधिकारी चुनने का प्रस्ताव

बैठक दिनांक ———————————— स्थान ————————

बस्ती का नाम .————————————वार्ड का नाम ———————————— वार्ड क्रमांक ————————

महिला आरोग्य समिति बस्ती ————————————————द्वारा सर्वसम्मति से निम्नलिखित पदाधिकारी का चुनाव किया जाता है।

बैठक में चयन किये गए अध्यक्ष का नाम	हस्ताक्षर .....
बैठक में चयन किये गए कोषाध्यक्ष का नाम	हस्ताक्षर .....

महिला आरोग्य समिति की बैठक में उपस्थित सदस्यों के नाम	हस्ताक्षर
————————————————————	————————
————————————————————	————————
————————————————————	————————
————————————————————	————————
————————————————————	————————
————————————————————	————————
————————————————————	————————
————————————————————	————————
————————————————————	————————
————————————————————	————————

संयोजक मितानिन का नाम ..... हस्ताक्षर .....

मितानिन प्रशिक्षक का नाम ..... हस्ताक्षर .....